

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

लत : उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर


मुकाम भीलवाड़ा

राजस्थान सरकार बनाम ग्राम पंचायत मेहेन्द्रगढ़ जरिये सरपंच मेहेन्द्रगढ़

किस्म मुकदमा : प्रार्थना पत्र धारा 131, 132 एलआरए

प्रकरण सं. 143/2020

व नियम 58,59,60,66,86 आरएलआर

| तारीख<br>हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  | नम्बर व तारीख<br>अहकाम जो<br>इस हुक्म की<br>तामील में जारी<br>हुए |
|----------------|---|---|
| 26.10.2020     | <p>तहसीलदार, सहाड़ा मु0 गंगापुर द्वारा ग्राम मेहेन्द्रगढ़ प0ह0 मेहेन्द्रगढ़ तहसील सहाड़ा के खसरा नम्बर 2937 रकबा 1.50 हे0 किस्म चारागाह भूमि राजस्व रेकार्ड में चारागाह एवं अन्य सामान्य काम हेतु दर्ज है में से जा रहे चालू रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 मय दस्तावेजात् नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, मौका रिपोर्ट पटवार हल्का मेहेन्द्रगढ़ परिशिष्ट-‘ए’ एवं अभिशंषा तहसीलदार, सहाड़ा प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जावे। तहसीलदार, सहाड़ा से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिससे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में रास्ते हेतु उपयोग में आने वाली भूमि का लिंक खातेदारी आराजियात से होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। जाब्ता दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: right;"> <br/> <b>उपखण्ड अधिकारी</b><br/>             गंगापुर भीलवाड़ा         </p> |   |

